

52149  
19/08  
मुख्य पोस्टे/सुपरिटर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनांतर्गत डाक व्यय को पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 363]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 जुलाई 2008—आषाढ़ 10, शक 1930

खेल एवं युवा कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2008

क्र. एफ. 1-15-2008-नौ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण संचालनालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुसूची

[नियम 2(ग) देखिये]

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	केवल सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता	परीक्षण से पदोन्नति की कालावधि यदि कोई हो, की कालावधि	पदोन्नति पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा भरती की दशा में श्रेणी (ग्रेड) जिससे पदोन्नति/ स्थानांतरण किया जाना	नियुक्ति प्राधिकारी	विभागीय पदोन्नति समिति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ग्रार्डहोमैन	1	चतुर्थ वर्ग	3050-75- 3950-80-4590.	पदोन्नति द्वारा	—	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	—	भृत्य	संचालक, खेल और युवा कल्याण,	संचालक, खेल और युवा कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
दफ्तरी	1	चतुर्थ वर्ग	2610-60- 3150-65-3540.	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत.	—	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण.	—	भृत्य	संचालक, खेल और युवा कल्याण,	संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश समय-समय पर गठित की जाये.
रसोईया	2	चतुर्थ वर्ग	2750-4400	सोथी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत.	18 वर्ष	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण.	2 वर्ष	—	संचालक, खेल और युवा कल्याण.	—
भृत्य	44	चतुर्थ वर्ग	2550-55- 2660-60-3200.	सोथी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत.	18 वर्ष	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण.	2 वर्ष	—	संचालक, खेल और युवा कल्याण.	—

No. F-1-15-2008-IX.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare Directorate Class IV Service Recruitment Rules, 1987, namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules, for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

#### SCHEDULE

[See Rule-2(c)]

Name of Post	No. of Post	Classi- fication	Scale of Pay	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of vacancies to be filled by various method	For direct recruitment only			Promoted In Case recruitment by Promotion/ Transfer grades from which promotion transfer to be made	Appointing Authority	Departmental Promotion Committee
					Age Limit	Educational qualifications required	Period of Probation or trial if any			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ground men	1	Class IV	3050-75- 3950-80-4590.	By Promotion 100%.	—	VIIIth Passed	—	Peon	Director, Sports and Youth Welfare.	As Constituted by Director, Sports and Youth Welfare, M.P. from time to time.
Daftari	1	Class IV	2610-60- 3150-65-3540.	By Promotion 100%.	—	Vth Passed	—	Peon	Director, Sports and Youth Welfare.	As Constituted by Director, Sports and Youth Welfare, M.P. from time to time.

K-42-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Cook	1	Class IV	2750-4400	By direct recruitment 100%	18 years	Vth Passed	2 years	—	Director, Sports and Youth Welfare.	—
Peon	44	Class IV	2550-55-2660-60-3200.	By direct recruitment 100%	18 years	Vth Passed	2 years	—	Director, Sports and Youth Welfare.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना चौधरी, अपर मुख्य सचिव.